राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 01340/2023

जितेन्द्र कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. सामान्य पुलिस निदेशक, राजस्थान, जयपुर।
3. सामान्य पुलिस अतिरिक्त निदेशक (जागरूकता), राजस्थान, जयपुर।
4. सामान्य पुलिस उपनिरीक्षक, जयपुर रेंज, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.04.2023
आदेश की दिनांक : 03.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमंत शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में हेड कांस्टेबल के पद पर जिला मुख्यालय जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1999 में कांस्टेबल के पद पर हुई थी। अपीलार्थी को वर्ष 2018 में पुलिस अधीक्षक जिला दौसा के द्वारा आदेश दिनांक 05.10.2018 के द्वारा प्रार्थी को निलम्बित किया गया था तथा निलम्बन अवधि में प्रार्थी का मुख्यालय दौसा पुलिस लाईन में किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.12.2018 द्वारा महानिरीक्षक पुलिस , जयपुर रेंज द्वारा अपीलार्थी का मुख्यालय जिला दौसा जिला झुंझुंनू में कर दिया गया था तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.02.2020 के द्वारा अपीलार्थी का मुख्यालय झुंझुंनू से जिला जयपुर ग्रामीण में कर दिया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 24.02.2022 के द्वारा अपीलार्थी को विभाग के निलंबन से सेवा में बहाल कर दिया गया था, परंतु उक्त ओदश में अपीलार्थी का मुख्यालय उसके मूल जिले दौसा में न किया जाकर जिला जयपुर ग्रामीण में ही रख दिया गया है जो कि विभागीय आदेश दिनांक 24.06.2022 के खिलाफ है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

उम्मीदवार का मुख्यालय वहीं से तय किया जाना चाहिए जहां से सेवा बहाली के बाद उम्मीदवार को निलंबित कर दिया गया था।

अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 24.02.2022 (अनुलग्नक–5) के अनुसरण में अपीलार्थी को हेड कांस्टेबल के पद पर जिला मुख्यालय जयपुर ग्रामीण में कार्य करने दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी छः सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)